न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2693/2018/ग्वालियर/भूरा विरूद्ध आदेश दिनांक 22-2-2018 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी झांसी रोड जिला ग्वालियर, प्र. क्र. 50/2014-15/बी-121.

1-दिलीप चौबे पुत्र स्व0रामस्वरूप चौबे
2-महेश चौबे पुत्र स्व0रामस्वरूप चौबे
3-नरेन्द्र चौबे पुत्र स्व0रामस्वरूप चौबे
निवासीगण नया बाजार पंजाब नेशनल बैंक के सामने,
लश्कर ग्वालियर
4-रमेश चौबे पुत्र स्व0रामस्वरूप चौबे
5-उमाशंकर चौबे पुत्र स्व0रामस्वरूप चौबे
निवासीगण नहर वाली माता रोड नाका चंद्रवदनी,
लश्कर ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1-मध्यप्रदेश शासन
2-जगदीश पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे
निवासी अरगडे की गली नया बाजार
लश्कर ग्वालियर
3-राधेश्याम पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे
निवासी नहर वाली माता रोड, नाका चंद्रवदनी,
लश्कर ग्वालियर
4-सतीश चौबे पुत्र स्व0रामस्वरूप चौबे
म0नं0742 पटेल नगर सिटी सेंटर ग्वालियर
5-सीमा चौबे पत्नी स्व0मुरारीलाल चौबे
6-सागर चौबे पुत्र स्व0 मुरारीलाल चौबे

7-सारिका पुत्री स्व0मुरारीलाल चौबे
8-अंकिता चौबे पुत्री स्व0मुरारीलाल चौबे
9-सैफाली पुत्री स्व0 मुरारीलाल चौबे
समस्त निवासीगण पंजाब नेशनल बैंक के सामने,
नया बाजार लश्कर ग्वालियर
10-अर्चना शर्मा पुत्री मदनमोहन मुदगल
निवासी गुडीगुडा का नाका लश्कर ग्वालियर
11-हिमांशी पाण्डे पुत्री राघवेन्द्र पाण्डे
निवासी जटार गली लश्कर ग्वालियर
12-श्यामा पत्नी स्व0अनिल खेमरिया
हुजरात पुल लश्कर ग्वालियर
13-आलोक रघुवंशी पुत्र रणधीर सिंह रघुवंशी
भास्कर लाइन ज्येन्द्रगंज लश्कर ग्वालियर
14-सुरेश पुत्र स्व0किशनलाल चौबे
15-पद्मा पत्नी स्व0भरत चौबे
16-अमन चौबे पुत्र स्व0 भरत चौबे
निवासीगण पंजाब नेशनल बैंक के सामने
नया बाजार लश्कर ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिलीपसिंह तोमर, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री चेतन कानूनगो,अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 12
श्री अनुप गुप्ता,अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 14

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त महलगांव द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया कि ग्राम महलगांव के सर्वे नम्बर 1635 से 1639 व 1717 से 1720 एवं 1722 एवं कुल किता 10 कुल रकबा 153 बीघा 4 विस्वा मिसिल बन्दोबस्त वर्ष 1997 के अनुसार शासकीय पहाड़ अंकित है । उपरोक्त सर्वे नम्बरानोंमें से वर्तमान खसरा वर्ष 2008-09 लगायत 2010-11 के अनुसार 1635 मिन 2, 1635 मिन 1, 1637/1, 1638/1, 1639/1, 1717/2, 1718/2, 1719/2, 1722/2,3 कुल किता 09 रकबा 30 वीघा 14 विस्वा रामस्वरूप पुत्र गुलाबचंद्र भूमिस्वामी अंकित है शेष 122 वीघा 5 विस्वा भूमि शासकीय अंकित है। खसरा सम्बत् 2007 के अनुसार सर्वे नम्बर 1635 लगायत 1639 में उपरोक्त खाते की भूमि पर भैरोप्रसाद पुत्र गुलाबचंद्र साकिन कोटा वीरान मामूली मौरूसी लिखा है। उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ से प्राप्त होने पर प्रकरण में कार्यवाही संचालित की गई । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान प्रकाश चौबे की ओर से आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का आवेदन प्रस्तुत होने पर उन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया । उसके उपरांत उक्त प्रकरण में प्रकरण क्रमांक 74/1996-97/अ-6-अ मध्यप्रदेश शासन बनाम रामस्वरूप को संलग्न किया गया जिसमें आदेश दिनांक 1-7-1998 को तहसीलदार नजूल ग्वालियर के द्वारा सर्वे क्रमांक 1635, 1636, 1638, 1639, 1717, 1718, 1719, 1722 व 1723 के संबंध में जो प्रविष्टि रामस्वरूप की दर्ज की गई थी वह बिना किसी सक्षम अधिकारी के की गई होने से निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया । प्रकरण में एक नया तथ्य सामने आने पर कि उक्त प्रकरण क्रमांक 74/1996-97/अ-6-अ में आदेश दिनांक 1-7-1998 को जब उक्त प्रविष्टि को विलोपित कर दिया गया था जो कि रामस्वरूप के नाम से अंकित कर दी गई थी फिर उसके उपरांत प्रकरण क्रमांक क्रमांक 95/2005-06/अ-6-अ मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध रामस्वरूप के प्रकरण की मॉग तलबाना प्रस्तुत होने पर मंगाई गई जिसमें आदेश दिनांक 30-8-2008को सर्वे क्रमांक 1636/1 रकबा 0.836 हेक्टेयर पर पुन: रामस्वरूप का नाम अंकित करने का आदेश कर दिया गया है । प्रकरण क्रमांक 70/2011-12/बी-121 मध्यप्रदेश शासन/रामस्वरूप एक प्रकरण धारा 115 के संबंध में विचाराधीन होकर चल रहा था, जिसे भी उक्त प्रकरण क्रमांक 38/2010-11/अ-6-अ प्रकरण के साथ संयोजित किया गया । प्रकरण चलने के दौरान प्रकाश चौबे के द्वारा उक्त प्रकरणों एवं आदेशों में जो अनियमितताऐं हुई है, उनको रिव्यु में लेने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण क्रमांक 38/2010-11/अ-6-अ के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं खसरों का अवलोकन करने के पश्चात तथा संलग्न प्रकरण क्रमांक

74/1996-97/अ-6-अ में आदेश दिनांक 1-7-1998का अवलोकन किया गया जिसमें तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय घोषित किये जाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 95/2005-06/अ-6-अ में पारित आदेश् दिनांक 30-8-2008 का अवलोकन से प्रश्नाधीन भूमि की प्रविष्टि को यथावत रखने के आदेश तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये है । उक्त आदेशों का तत्कालीन पटवारी द्वारा अमल नहीं किया गया । इस प्रकार एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग पीठासीन अधिकारियों द्वारा भिन्न भिन्न आदेश दिये गये हैं । अत: संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 22-2-2018 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22-2-2018 प्रथमदृष्टया गलत विधि विरूद्ध एवं अधिकारविहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है, क्योंकि प्रश्नाधीन आदेश के द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 1-7-1998 को विधि सम्मत मानते हुये उस पर अमल किये जाने बावत् आदेश दिया है, जबकि ऐसा आदेश देने की अधिकारिता संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है । संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को केवल यह देखना है कि जिस आदेश का पुर्नवलोकन चाहा जा रहा है उसको पुर्नवलोकन की अनुमति दी जावे अथवा नहीं, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22-2-2018 के पद क्रमांक 2 में यह आदेश दिया है कि तहसीलदार नजूल प्रकरण क्रमांक 74/1996-97/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 1-7-1998 के अमल की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें । अत: ऐसा आदेश देने का अधिकारी अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को नहीं है।

(2) तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी को राजस्व अभिलेख में ऐसी प्रविष्टि को सुधार करने की अधिकारिता नहीं है जो प्रविष्टि संहिता के प्रवृत होने के पूर्व की हो, निर्विवादित रूप से न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 1-7-1998 के आधार पर संवत 2006 यानि वर्ष 1949 की खसरा प्रविष्टि को संदेहास्पद मानते हुये उसे सुधार करने का आदेश दिया

है ऐसा सुधार करने की अधिकारिता तहसीलदार नजूल को प्राप्त नहीं है । इस संबंध में मध्य भारत माल प्रबंध एवं रैयतवारी भू-आगम एवं कृषकाधिकारी विधान संवत् 2007 की धारा 50 एवं 51 उल्लेखनीय है जिसके अनुसार यदि माल पदाधिकारी को यह ज्ञात हो कि गांव के वार्षिक कागजों में अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा अशुद्ध लेखा प्रविष्टि कर दी गई है तो संबंधित कागजों में आवश्यक परिवर्तन किये जाने के निर्देश देगा तथा ऐसा संशोधन करने की समय अवधि धारा 51 में एक वर्ष निर्धारित की गई है।

(3) संवत् 2007 के अंतर्गत तत्कालीन तहसीलदार द्वारा इस संबंध में न तो कोई कार्यवाही विचार में ली और न ही इस संबंध में कोई आदेश पारित किया । सम्वत् 2007 संहिता के प्रभावशील होने के प्रभाव से रामस्वरूप पुत्र गुलाबचंद को विधि के प्रभाव से पक्का कृषक के अधिकार प्राप्त हो गये तथा संहिता की धारा 158 के तहत रामस्वरूप भूमिस्वामी हो गये तथा उक्त प्रविष्टि लगातार 65 वर्षो तक रही तथा खसरा पंचशाला एवं अन्य राजस्व रिकार्ड में रामस्वरूप पुत्र गुलाबचंद तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिसानों का नाम बहैसियत भूमिस्वामी राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ तहसीलदार के अधिकार विहीन आदेश को अमल में लाने का जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(4) तहसीलदार नजूल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-7-1998 को पारित किये जाने से पूर्व मृतक रामस्वरूप को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तहसील न्यायालय द्वारा जो सूचना पत्र जारी किया गया था उसमें रामस्वरूप का स्पष्ट पता अंकित नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 1-7-1998 के तत्समय के खसरा प्रविष्टि में रामस्वरूप का पता नया बाजार लश्कर ग्वालियर अंकित है तथा इसी प्रकार नामांकन पंजी में भी उपरोक्त पता अंकित है, लेकिन तहसीलदार नजूल ग्वालियर द्वारा मात्र लश्कर के पते पर उक्त तामील जारी कर तथा उसकेआधार पर मृतक रामस्वरूप चौबे के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 1-7-1998 पारित किया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता, लेकिन अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य पर बिना विचार किये तथा आदेश दिनांक 1-7-1998 की वैधानिकता की बिना जॉच किये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर कतई विचार नहीं किया है कि संवत् 2006 की प्रविष्टि में संशोधन करने का तहसीलदार सहित अनुविभागीय अधिकारी को कानूनी अधिकार नहीं है परन्तु संहिता की धारा 115, 116 के प्रावधान को नजर अंदाज कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया कि जिस व्यक्ति द्वारा उक्त पुनरावलोकन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त व्यक्ति का वादग्रस्त संपत्ति से कोई सरोकार अथवा वास्ता नहीं था, बल्कि प्रकाश चौबे के तथाकथित वारिसान अनावेदक क्रमांक 13 आलोक रघुबंशी द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रकाश चौबे के मृत होने के पश्चात् प्रकाश चौबे वसीयत के आधार पर उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में संयोजित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त आदेश मुताबिक भी प्रकाश चौबे के तथाकथित वारिसान को किसी प्रकार की कोई पुनरावलोकन सहित आपत्ति करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था व है।

तर्क के समर्थन में 1999 आर.एन. 329 व 84, 1992 आर.एन. 26, 1983 आर.एन. 445, 1997 आर.एन. 381 एवं 2005(दो) एम.पी.जे.आर.एस.एन. 41 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 12 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्को में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ अनावेदक क्रमांक 13 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति दिये जाने का पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व में पारित अधीनस्थ न्यायालयों के कई सारे आदेशों को अपने प्रश्नाधीन आदेश द्वारा विचार में

लेकर अपने विस्तृत आदेश में बिना पर्याप्त परीक्षण के कई सारे निर्देश दिये हैं । उक्त आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 39/2005-06/अ-6-अ के पुनर्विलोकन की अनुमति दी है, लेकिन उक्त प्रकरण उनके समक्ष उपलब्ध ही नहीं था । बिना प्रकरण देखे उक्त अनुमति दी जाना स्पष्ट परिलक्षित है । उक्त कार्यवाही विधिक कार्यवाही नहीं होकर स्थिर नहीं रखी जा सकती । इसी प्रकार उन्होंने बिना दिनांक 30-8-2008 का आदेश निरस्त किये, दिनांक 1-7-1998 के आदेश के क्रियान्वयन के निर्देश भी दे दिये है जबकि तहसीलदार का दिनांक 1-7-1998 का आदेश, दिनांक 30-8-2008 के आदेश से over rule हो चुका था । अत: उक्त निर्देश भी वैधानिक रूप से उचित नहीं है । उन्होंने यह भी परीक्षण नहीं किया कि किन-किन नम्बरों पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है तथा कौन से सर्वे नम्बर इससे प्रभावित नहीं है । पुनर्विलोकन की अनुमति देने से पूर्व उनका यह कर्त्तव्य था कि वे पूरे तथ्यों का परीक्षण स्वयं करते तथा उसी संबंध में पुनर्विलोकन के आदेश देते जिनके संबंध में पुनर्विलोकन के पर्याप्त आधार उपलब्ध थे । बिना पूर्ण परीक्षण के पुनर्विलोकन की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने बिना पूरे तथ्य देखे तथा वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-2018 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर